

# कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय

Email ID : dsofood-jaipr-rj@nic.in Phone No. 0141-2202564

क्रमांक: रसद/प्रेस नोट /2023/ 788

दिनांक 11/4/23

## प्रेस नोट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देश के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत रिक्त उचित मूल्य दुकानों (आमेर-08, सांगानेर-10, कोटपूतली-10, शाहपुरा-09, विराटनगर-05, जमवारामगढ-06, चाकसू-06, दूदू-07, चौमू-12, सांभर-32, पावटा-04, फागी-12, बस्सी-10, जोबनेर-08, जयपुर ग्रामीण-07, कुल 146) के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु संशोधित विज्ञप्ति संख्या 779 दिनांक 11.04.2023 द्वारा दिनांक 12.04.2023 से 25.04.2023 तक आवेदन फार्म का वितरण एवं दिनांक 13.04.2023 से 28.04.2023 तक पूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कमरा नंबर 36 में जमा करवाये जा सकते हैं। उक्त आदेश श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अनुमोदित है।

*Adhal*

(डॉ. अनुराधा गोगिया)  
जिला रसद अधिकारी  
जयपुर द्वितीय

दिनांक : 11/4/2023

क्रमांक: रसद/प्रेस नोट /2023/ 789 - 810

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर।
3. अति. आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति/आयुक्त, नगर परिषद्/पालिका, जयपुर .....जिला जयपुर को कार्यालय के नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक स्थान पर पदर्शित करने हेतु।
7. ए.सी.पी./जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

*Adhal*

जिला रसद अधिकारी  
जयपुर द्वितीय